(41)

## उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई अनुभाग
संख्या ।।8 / ।।–2013–06(06)/2006
देहरादून दिनांक : ?। जनवरी, 2013

### कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 442/।।–2006–01(22)/2004 दिनांक 03.06.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप 531/।।–2006–01(22)/2004 दिनांक 20.07.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1065/।।–2009–01(22)/2004 दिनांक 26.06.2009 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम रूप से वरिष्ठता सूची निर्गत की गई थी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 185/2006 सुरेश चन्द्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2011 द्वारा श्री रवीन्द्र प्रसाद की सहायक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता की गणना दिनांक 08.08.1999 से किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसके विरूद्ध श्री रवीन्द्र प्रसाद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में पुनर्विचार रिट याचिका संख्या 1047/2011 दायर की गई थी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध श्री रवीन्द्र प्रसाद द्वारा मा0-उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या सी0सी0 09268–9269/2012 योजित की गई थी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.07.2012 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार श्री रवीन्द्र प्रसाद की सहायक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता की गणना दिनांक 08.08.1999 से किया जाना बाध्यकारी हो चुका है।

2-- उक्त वर्णित स्थिति में उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञापों द्वारा सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम रूप से निर्गत वरिष्ठता सूची को संशोधित करते हुए श्री रवीन्द्र प्रसाद का नाम कमांक 8ए से निरस्त कर कमांक 14 पर अंकित श्री संजय भाष्कर तथा कमांक 15 पर अंकित श्री रवीन्द्र जोशी के मध्य कमांक 14ए के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। तद्नुसार सहायक अभियन्ताओं की प्रख्यापित वरिष्ठता सूची उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

3-- उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 436/।।–2006–01(22)/2004 दिनाक 31.05.2006 में श्री रवीन्द्र प्रसाद की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित सेवा की इंगित तिथि 25.05.1995 के स्थान पर 08.08.1999 संशोधित समझी जायेगी। साथ ही कार्यालय ज्ञाप संख्या 748/।।–2006–01(67)/2004 दिनांक 07.12.2006 द्वारा श्री रवीन्द्र प्रसाद को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के पद पर दिनांक 04.01.2006 से प्रदत्त नोशनल पदोन्नति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है और फलतः श्री रवीन्द्र प्रसाद को पदोन्नति आदेश के दिनांक 07.12.2006 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत समझा जायेगा।

997-(08)
14-02-2013

प्र0अधि0 (स्थापना)

11/2/2013

(आर0सी0पाठक)
सचिव

क्रमशः.........2

(2)

(40)

संख्या 118 / II–2013–06(06)/2006 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित अभियन्ताओं को द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

लघु सिंचाई अनुभाग

संख्याः– 370 / II–2012– 01(22) / 2004

देहरादून, दिनांक : 27 मई, 2014

## कार्यालय आदेश

शासन के कार्यालय आदेश संख्या–1065 / II–2009–01(22) / 2004 दिनांक 26.06.2009 द्वारा लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का वरिष्ठता कमांक–25 तक अन्तिम रूप से वरिष्ठता सूची निर्गत की गई थी। उक्त वरिष्ठता सूची निर्गत होने के पश्चात लघु सिंचाई विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियन्ता नियमित रूप से पदोन्नत हुए हैं, और उन अभियन्ताओं के नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु शासन के कार्यालय आदेश संख्या–65 / II–2012–01(27) / 2004, दिनांक 02.01.2013 एवं दिनांक 15.05.2013 द्वारा आपत्तियॉ चाही गयी थी। किन्तु 01 वर्ष से भी अधिक समय, व्यतीत होने के उपरान्त भी न तो विभागाध्यक्ष के स्तर से और न ही व्यक्तिगत रूप से ही इस संबन्ध में कोई आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं।

2– अतः उक्त के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार वरिष्ठता कमांक–26 से 32 तक के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता संलग्न सूची के अनुसार निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः– 370/ II–2012– 01(22) / 2004, तददिनांक।

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अन्तिम रूप से निर्गत वरिष्ठता सूची को सम्बन्धित अभियन्ताओं को परिचालित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
उप सचिव

## शासनादेश संख्या / 11-2012-01(22) / 2004

दिनांक मई, 2014 का संलग्नक

(लघु सिंचाई विभाग में कमांक 26 से 32 तक के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची)

| क0 सं0 | वरिष्ठता कमांक | नाम | प्राविधिक योग्यता | नियमित नियुक्ति की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | गणेश लाल वर्मा | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | सेवानिवृत्त 30.12.2011 |
| 2 | 27 | सतीश चन्द्र मैठाणी | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | सेवानिवृत्त 30.06.2013 |
| 3 | 28 | गजेन्द्र कुमार पाण्डेय | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | सेवानिवृत्त 30.04.2014 |
| 4 | 29 | डी0एस0भण्डारी | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | सेवानिवृत्त 30.09.2011 |
| 5 | 30 | विनोद कुमार मित्तल | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | सेवानिवृत्त 30.06.2010 |
| 6 | 31 | पीयूष चन्द्र पाण्डेय | डिप्लोमा सिविल | 23.06.2009 | -- |
| 7 | 32 | बच्चीराम कोहली | डिप्लोमा मैके0 | 23.06.2009 | -- |

(विनोद फोनिया)
सचिव

My Documents/Pandey/U.O